कांग्रेसियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

दौसा (निस.)। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामजीलाल ओड के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जिले भर के कांग्रेसियों ने ईडी व सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साये कांठोसियोग ने केन्द्र सरकार का पुतला फूंका। उधर कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुये पुलिस

■ केन्द्र सरकार का पुतला फूंका

प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। प्रदर्शन से पूर्व कांग्रेसियों ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला।

शहीद स्मारक कांठोसियो को सम्बोधित करते हुये जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की मूल भावना पर लगातार प्रहार कर रही है। विपक्षी नेताओं को डराने, दबाने और जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई एवं विकास जैसे मूल मुद्दों से भटकाने के लिए ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।

कांग्रेसियों ने ईडी व सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में झूठे व राजनीतिक द्वेष से प्रेरित केस बनाए गए हैं, जिन पर देश की सर्वोच्च अदालत में मामला विचाराधीन है और कांठोस को न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है।

पूर्व केबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। भाजपा सरकार ईडी जैसी एजेंसियों को अपना राजनीतिक हथियार बना चुकी है, लेकिन सच्चाई और लोकतंत्र की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांठोस पार्टी डरने वाली नहीं है और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष और तेज किया जाएगा। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहती है, लेकिन कांठोस पार्टी ऐसी हर साजिश का डटकर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि कांठोस सड़क से लेकर सदन तक जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस दौरान पूर्व विधायक जीआर खटाना, पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला, ब्लॉक अध्यक्ष हेमराज अवाना, नगर अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने भाजपा सरकार की कुनीति पर प्रहार किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला जिलाध्यध्यक्ष रेणु काटारिया, ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा, चतरसिंह बासडा, प्रधान सुल्तान बैरवा, धन्ना लाल बैरवा, मंडल अध्यक्ष शरद नागर, दिलीपसिंह, लालसिंह राजपूत, रुक्मणी गुप्ता, जलजीत मीणा, रामहरि मीणा, महेश डोलिका, चंचल कसाना, उमाशंकर बनियाना, नरेंद्र जैमन, जगदीश श्यालावास, पीसी मीणा, कवरपाल गुर्जर, बलिराम सैनी, मंजू मीणा, किशनलाल कोली, कृष्ण जीरोता, प्रवक्ता मुकेश राणा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

फिर आइपीएल तक पहुंचा भरतपुर का लाल

भरतपुर (निस)। भरतपुर के कार्तिक शर्मा को इंडियन प्रीमियर लीग के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ में खरीदा है। आईपीएल में सिलेक्ट होने के बाद बुधवार को कार्तिक अपने पिता मनोज शर्मा और मां राधा शर्मा के साथ भरतपुर पहुंचे। यहां अठावाल भवन में कार्तिक और उनके मां-बाप को सम्मानित किया गया। भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हुए इस कार्यक्रम में शहर के लोग भी शामिल थे। कार्तिक का ये सफर इतना आसान नहीं रहा। करोड़ों में बिकने वाले कार्तिक अपने संघर्ष के दिनों में रेन बसेरे तक में पिता के साथ सोए। कार्तिक के पिता मनोज शर्मा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि- क्रिकेट के लिए हम दोनों बाप-बेटों को भूखा रहकर रात गुजारी।कार्तिक के पिता ने बताया कि एक बार मैं ग्वालियर में एक टूर्नामेंट में कार्तिक के साथ गया था।

भूमि आवंटन की मांग तेज

दौसा (निस.)। विधानसभा क्षेत्र महवा के अंतर्गत नवगठित मनोहरपुर-खेडला पंचायत समिति के स्थायी भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग अब तेज हो गई है। इस संबंध में पूर्व विधायक डॉ. ओमप्रकाश हुडला ने जिला कलेक्टर दौसा को सौंपकर पंचायत समिति भवन के लिए खेड़ला बुजुर्ग में भूमि आवंटित किये जाने की मांग की।

पूर्व विधायक डॉ. ओमप्रकाश हुडला ने पत्र में बताया कि राज्य सरकार द्वारा मनोहरपुर-खेडला को पंचायत समिति का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, किंतु अभी तक समिति का अपना स्थायी भवन नहीं होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में असुविधा उत्पन्न हो रही है। पंचायत समिति क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों से जुड़े विकास कार्यों, जनसमस्याओं के निस्तारण और प्रशासनिक बैठकों के लिए स्थायी भवन की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने पत्र में बताया कि खेडला बुजुर्ग स्थित शहीद मोहनसिंह स्मारक के पास उपलब्ध सरकारी भूमि को पंचायत समिति भवन के लिए आवंटित किया जाए। पत्र के अनुसार संबंधित भूमि खसरा संख्या 2103/2100 में स्थित है, जिसमें लगभग 25 बीघा भूमि उपलब्ध है, जो पंचायत समिति भवन एवं उससे संबंधित कार्यालयों के लिए उपयुक्त बताई गई है।

■ पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला ने कलेक्टर को आम जन के साथ सौंपा ज्ञापन

उन्होंने कहा कि जो भूमि वर्तमान महवा विधायक ने आबंटित करने की बात कहीं हैं वह पूर्ण रूप से मौजूद पंचायत समिति के नागरिकों के लिए उचित नहीं हैं जबकि खेड़ला बुजुर्ग में पर्याप्त मात्रा में चारागाह भूमि उपलब्ध हैं। और यहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय भी मौजूद हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि उक्त भूमि का शीघ्र आवंटन किया जाता है तो पंचायत समिति का भवन निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ हो सकेगा, जिससे क्षेत्रवासियों को प्रशासनिक सुविधाएँ उनके निकट ही उपलब्ध होंगी।

इससे ग्रामीणों को दौसा या अन्य स्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय व धन दोनों की बचत होगी। डॉ. हुडला ने जिला प्रशासन से यह भी अनुरोध किया है कि इस विषय में आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने भी पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटन की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पंचायत समिति बनने के बाद से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएँ बनी हैं, लेकिन स्थायी भवन के अभाव में कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहे हैं। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है और विकास कार्यों को गति कब मिलती है।

जेल में जातिगत भेदभाव नही

फुलेरा। मॉडल जेल मैन्युअल 2016 के तहत गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स की ओर से फुलेरा उप कारागृह भवन का संयुक्त रूप से जेल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की अध्यक्षता अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति सांभर लेक (लिंक अधिकारी) डॉ. ऋचा कौशिक ने की। निरीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध बंदीगणों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। बंदियों ने बताया कि जेल में किसी भी प्रकार का जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जाता है। साथ ही कार्य व्यवस्था में भी सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। उप कारागृह के लंगरखाना (रसोई) में कार्यरत बंदियों से भी बातचीत की गई, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि भोजन व्यवस्था व कार्य विभाजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सांभरलेक ऋषिराज कपिल, व भागचंद कुमावत सहित उप कारापाल भरतलाल मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

जयपुर ग्रामीण सांसद कोष से खेलों के प्रोत्साहन के लिए राशि देने की घोषणा

शाहपुरा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के दिशानिर्देश में सांसद खेल महोत्सव 2025 का पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा एवं सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह, सुरेश कुमार बादलीवाल जिला अध्यक्ष जयपुर देहात उत्तर, आलोक बेनीवाल पूर्व विधायक शाहपुरा, यादराम जांगल संयोजक सांसद खेल महोत्सव, अजय सिंह रुडल सहसंयोजक सांसद खेल महोत्सव, भाजपा पूर्व जिला मंत्री एवं पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष व ग्राम पंचायत खोरी जीएसएस अध्यक्ष एवं सांसद खेल महोत्सव शाहपुरा मंडल प्रभारी रवीश खटाणा, बंशीधर सैनी नगर परिषद सभापति शाहपुरा, पूर्व प्रधान एवं भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष मंजू सैनी शाहपुरा की गरिमामय उपस्थिति में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं झंडारोहन व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विद्यालय के खेल मैदान में कबड्डी, वालीबाल, दौड़ 100 मीटर व 200 मीटर का भव्य शुभारंभ हुआ।

जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के दिशानिर्देश में सांसद खेल महोत्सव 2025 का पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा एवं सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ।

भाजपा जयपुर जिला देहात उत्तर मीडिया प्रभारी सुभाष जोशी ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पुरुष एवं महिला की कुल 299 टीम में 4936 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

इस दौरान शाहपुरा शहर मंडल, शाहपुरा देहात मंडल, मनोहरपुर मंडल में पुरुष एवं महिला की कुल 159 टीम में 2725 खिलाड़ियों जिसमे कबड्डी की कुल 105 टीम 975 खिलाड़ी, वॉलीबॉल की कुल 54 टीम 550 खिलाड़ी, दौड़ में कुल 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने एवं उनको आगे बढ़ाने के तहत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिससे देश की युवा पीढ़ी शारीरिक, मानसिक रूप से सशक्त बन सके। इस दौरान उन्होंने जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह द्वारा सांसद कोष से खेलो के प्रोत्साहन के लिए राशि देने की घोषणा को भी दोहराया जिस पर उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह एवं पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल ने उपस्थित सभी खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उनकी हौसला अफजाई की।

इस अवसर पर आलोक बेनीवाल टीम तथा सेवानिवृत कर्मचारियों की टीम के बीच कबड्डी का उद्घाटन मैच हुआ जिसमें आलोक बेनीवाल टीम 12 - 5 से विजय हुई।

इस अवसर पर शाहपुरा उपखण्ड अधिकारी संजीव कुमार खेदर, पवन कुमार जाट सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम शाहपुरा, प्रधानाचार्य रुडमल कपूरिया शहरी नोडल अधिकारी शाहपुरा, प्रधानाचार्य संजय कुमार शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा, शाहपुरा नगर मंडल अध्यक्ष एवं पार्षद मालीराम सैनी, मनोहरपुर मंडल अध्यक्ष रामचंद्र यादव, शारीरिक शिक्षक, शिक्षक, शिक्षिकाएं सहित सैकडो भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का निरीक्षण

टोंक। राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों, फ्लेगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। विकास

■ विकास रथ का अवलोकन, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया

रथों में स्थापित एलईडी के माध्यम से आमजन को केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं से रूबरू किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बुधवार को ग्राम पंचायत समिति टोंक की ग्राम पंचायत घास में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का निरीक्षण किया।

सरकार की उपलब्धियों, फ्लेगशिप योजनाओं पर टोंक में कई कार्यक्रम हुए।

उपखंड अधिकारी टोंक हकुमीचंद रोहलानिया एवं तहसीलदार भगवती लाल जैन से शिविर की प्रगति की जानकारी देते हुए पात्र लोगों को आवासीय पट्टे, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित किया। साथ ही विकास रथ में ऑडियो विजुअल माध्यम से दिखाई जा रही सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा कि विकास रथों के माध्यम से वीडियो व ऑडियो संदेशों तथा जनसंवाद के जरिए आम लोगों को सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों एवं विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-22, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100407 **लोक सूचना** दिनांक: 17.12.2025

श्री RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI, पुत्र श्री GANESH RAM SAINI जाति MALI निवासी RIYASAT TOWER, KHASRA NO. 688/1, RAMPURA ROAD, BEHIND ISKON TEMPLE, SUKHIYA, S.F.S. MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302020 श्री SUGNA DEVI THROUGH POWER OF ATTORNEY BUDDHI PRAKASH CHOUDHARY पुत्र श्री MADAN LAL CHOUDHARY जाति JAT निवासी BADA PADAMPURA, SHIVDASPURA, CHAKSU, JAIPUR, RAJASTHAN - 303903 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय प्रयोजन** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	भाटेठ, साँगानेर (जयपुर)	1.) सुगनादेवी पत्नि रामजीलाल हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा मुहाना खातेदार	1660/1062	0.15	0.15
2	बासडीजोगियान	1.) रियासत इन्फ्रा डवलपर्स	1377/1176	0.134	0.134
3	माधोराजपुरा (जयपुर)	प्राइवेट लिमिटेड हिस्सा पूर्ण	1378/1176	0.0867	0.0867
4		जाति N/A पंजीकृत कार्यालय 709 ओके प्लस टॉवर सेक्टर 7 मानसरोवर जयपुर खातेदार	1388/1302	0.5889	0.5889
5	बासडीजोगियान	1.) रियासत इंफ्रा डवलपर्स	1386/1302	0.2375	0.2375
6	माधोराजपुरा (जयपुर)	प्राइवेट लिमिटेड पुत्र एन ए	1385/1302	0.29	0.29
		हिस्सा पूर्ण जाति जाति का उल्लेख नही मकान संख्या 0 कॉलोनी रियासत टावर खसरा नबर/ क्षेत्र/स्थान रामपुरा रोड इस्कोन मंदिर के पीछे सुखिया एस एफ एस मानसरोवर शहर जयपुर पिन कोड 302020 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	कुल		1.4871

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्यापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विधिक के विरुद्ध अपनी अपील दर्ज करें' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी अपील ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-12-2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-22, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

हम कि केशर सिंह पुत्र श्री कारे सिंह, वैजन्ती पत्नी श्री केशर सिंह निवासीयान ग्राम कौरि, तहसील व जिला डीग (राज०) हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि हमारा एक पुत्र भूपेन्द्र सिंह आयु 30 वर्ष जो कि गलत सोहबत में पड़ गया है जो कि आये दिन हम पति-पत्नी के साथ झगड़ा करता है तथा हमें हमारे बनाये हुये घर में नहीं रहने देता है। भूपेन्द्र सिंह का चाल-चलन खराब होने के कारण ना तो हमारी बातें मानता है और हमारे द्वारा कमाये हुये पैसों को भी छिना लेता है हम भूपेन्द्र सिंह के द्वारा किये गये कृत्यों से बुरी तरह से आहत, तंग व परेशान हैं। इसलिये हम दोनों पति-पत्नी भूपेन्द्र सिंह को अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति में बेदखली करते हैं। अगर भविष्य में मेरा पुत्र भूपेन्द्र सिंह किसी दीगर व्यक्ति से उधारी व लेन देन करता है या कोई आपराधिक कार्य एवं अन्य धोखाधड़ी जैसे कार्य करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी भूपेन्द्र सिंह की होगी हम पति पत्नी का भूपेन्द्र सिंह से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होगा। इसके द्वारा किये गये कार्यकलाप लेन-देन की जिम्मेदारी भूपेन्द्र सिंह व इससे समव्यवहार करने वाले व्यक्ति ही जिम्मेदार होंगे। भूपेन्द्र सिंह का अब हमारी चल अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं होगा।

नाम परिवर्तन

मैं GS191822X RANK OEM-1 जीतराम मीना पुत्र श्री गोपाल लाल मीना आयु 47 वर्ष जाति मीना नि. ग्राम रूंधपुरा तह. मासलपुर जिला करौली राज. का हूं यह कि मेरा पुत्र पंकज कुमार जिसकी जन्म तिथि 05.08.2010 है जो सही है। यह नाम व जन्म तिथि आधार कार्ड में दर्ज है। मेरे पुत्र के कक्षा 8 व 10 की अंक तालिका में नाम व जन्म तिथि सही अंकित हो रही है। यह कि मेरे मेरे GREF सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम पंकज कुमार मीना तथा जन्म तिथि 05.06.2008 दर्ज हो रहे है जो कि गलत दर्ज हो गये हैं इसलिए मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम पंकज कुमार तथा जन्म तिथि 05.08.2010 दर्ज की जावें। यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम पंकज कुमार तथा जन्म तिथि 05.08.2010 दुरूस्त किये जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-9007 दिनांक-09/12/25

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 32/473 (MIG-A), (एरिया 116.250 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन कुमारी विभा मुदगल (श्रीमती विभा शर्मा) पुत्री श्री प्रभुनारायण मुदगल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1954 दिनांक 28.12.1991 को जारी किया गया। कुमारी विभा मुदगल (श्रीमती विभा शर्मा) के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 13.03.2007 को उप पंजीयक जयपुर-प्रथम, के यहां पंजीकृत करवाये गये। कुमारी विभा मुदगल उर्फ श्रीमती विभा शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 04.10.2019 के द्वारा 1. श्रीमती सपां देवी पत्नी श्री मोटयो मल कुन्दनानी एवं 2. श्रीमती रेखा कुन्दनानी पत्नी श्री आसनदास कुन्दनानी को विक्रय कर उप पंजीयक-उत्तम, मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती सपां देवी की मृत्यु दिनांक 09.01.2023 को हो जाने के कारण पंजीकृत हलकयाग पत्र के आधार पर इनके पुत्र श्री सांवल दास कुंदनानी पुत्र स्व. श्री मोटयो मल द्वारा उक्त आवास 1/2 हिस्से को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, 1. श्री सांवल दास कुंदनानी पुत्र स्व. श्री मोटयो मल एवं 2. श्रीमती रेखा कुन्दनानी पत्नी श्री आसनदास कुन्दनानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 101/2025

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री राजीव शमां प्रन्यासी ने पंजीकृत मंदिर श्री मुरली मनोहर जी ग्रोस मुण्डोला ग्राम-मुण्डोता, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 2 जयपुर 1999 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास में श्री पुरुषोत्तम शर्मा अध्यक्ष एवं श्री वैद्य विरथीचन्द शर्मा सचिव का स्वर्गवास हो जाने के कारण तथा श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने उनके स्थान पर स्वयं का नाम बतौर प्रन्यासी/अध्यक्ष, व सतीश शर्मा को सचिव/प्रन्यासी तथा कैलाश चन्द शर्मा को कोषाध्यक्ष, बालकृष्ण शर्मा, श्री संजय शर्मा, श्री अभिषेक शर्मा व श्री यशु शर्मा नियुक्त कर उनके नाम प्रस्थात रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 15/12/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।

आइदा तारीख पेशी 19/1/26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 102/2025

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री भगवान राम लक्ष्मीनारायण जागिड़ ने पंजीकृत प्रन्यास भगवान राम लक्ष्मीनारायण जागिड़ सिगोवडी ट्रस्ट 316, क्रास रोड माल, सैन्ट्रल स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 108 जयपुर 2018 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास का कार्यालय का पत्ता प्लैट में 621. शिवशक्ति पैराडाईज, सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर जयपुर कर तथा शाखा कार्यालय ग्राम सिंगोदडी पोस्ट सिंगोदडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थापित कर उक्त संशोधनों को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है. में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निश्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

15/12/25 आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।

आइदा तारीख पेशी 19/1/26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

लोक सूचना **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100405 दिनांक: 17.12.2025

श्री DREAM LAND DEVELOPERS पुत्र श्री DIRECTOR AMIT JAIN जाति JAIN निवासी 21/5- B MADHYAM MARG MANSAROVAR JAIPUR RAJ. श्री AMIT JAIN पुत्र श्री JINENDRA KUMAR JAIN जाति JAIN निवासी 76 2 ND FLOOR LAXMAN COLONY NEW SANGANER ROAD WARD NO 30 SODALA JAIPUR RAJ. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
लखेर, आमेर (जयपुर)	अमित जैन डायरेक्टर ड्रीम लैंड डवलपर्स पुत्र जिनेन्द्र कुमार जैन	317	3.62	3.62
		317/1335	2.1	2.1
	अमित जैन डायरेक्टर ड्रीम लैंड डवलपर्स	317/1346	0.06	0.06
		304	1.4	1.4
	हिस्सा 2/5 ड्रीम लैंड डवलपर्स	317/1345	0.03	0.03
		304/1337	0.63	0.63
	हिस्सा 3/5 ड्रीम लैंड डवलपर्स	304/1344	0.06	0.06
		317/1311	3.61	3.61
		317/1444	0.04	0.04
		317/1348	0.1	0.1
		317/1445	2.05	2.05
			कुल	13.7

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्यापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर "विधिक के विरुद्ध अपनी अपील दर्ज करें" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी अपील ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17.12.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13

नाम परिवर्तन

मैं आर्मी न. JC 453412W Sub Ajay Singh यूनिट 24 गार्ड (17 ग्रेनेडियर्स) मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरे पिताजी का नाम सुरेश कुमार सिंह (Suresh kumar Singh) और जन्मतिथि 01.07.1958 जो की गलत है। मेरे पिताजी का सही नाम सुरेश सिंह (Suresh SINGH) है। और उनकी जन्मतिथि 01.01.1964 है

मैं आर्मी न. JC 453412W Sub Ajay Singh यूनिट 24 गार्ड है। (17 ग्रेनेडियर्स) मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरे माता जी का नाम आशा देवी (Asha devi) है और जन्म तिथि 01.07.1960 है जो की गलत है